



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / नामांकन / 2022 / 862

दिनांक 11/05/2022

आवश्यक सूचना

नामांकन सत्र जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 के वांछित नामांकन दस्तावेजों की पूर्ति।

नामांकन सत्र जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 के प्रकरणों में ऑनलाइन माध्यम से भरे हुए नामांकन आवेदन फार्म के प्रिंटआउट के साथ प्राप्त दस्तावेजों एवं समय-समय पर ई-मेल/डाक द्वारा प्राप्त दस्तावेजों की जांच उपरांत पाई गई आपत्तियों को संस्थाओं/शैक्षणिक विभागों/परीसरो के लॉगइन पर दर्ज कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रोविजनल नामांकन/पंजीयन नम्बर जनरेट किया गया है एवं ऐसे प्रकरणों को टेम्परेरी अप्रूवल कैटेगरी (T.A.) में रखा गया है। समस्त टेम्परेरी अप्रूवल प्रकरणों में दस्तावेजों की पूर्ति के लिये दिनांक 19/05/2022 तक का समय दिया जाता है। दिनांक 19/05/2022 तक जिन प्रकरणों में वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की जायेगी, उनके जून 2022 परीक्षा के परीक्षा परिणाम Withheld रखे जावेंगे एवं नामांकन/पंजीयन नम्बर निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।


परीक्षा नियंत्रक